फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मांगीलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 82/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक 10.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अत. अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त अराजीयात मौजा हींता पटवार हल्का हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में खाता संख्या नया 531 के साबिक आराजी न. 729/4 कुल किता 1 रकबा 5 बिघा कृषि भूमि श्री नवाब पिता शकिर अहमद जाति मुसलमान से जरिये विक्रय पत्र से 1/3 हिस्सा दिनांक 04.11.2010 को प्रार्थी द्वारा खरीदी गई है। ततपश्चात नामान्तरण सं. 2668 दिनांक 10.12.2010 से नामान्तरण स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तब से प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा होकर आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है। यह कि खाता संख्या नया 531 के साबिक आराजी न. 729/4 कुल किता 1 रकबा 5 बिघा कृषि का नवीन सेटलमेंट हुआ जिसके खाता संख्या नया 01 के खसरा सं. 1796, 1797, 1799, 1800, 1801 कुल खसरे 5 बने जिसका क्षै. 1.0700 है. राज्य सरकार के नाम पर दर्ज हो गई है जो भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी। यह कि उक्त कलम में वर्णित भूमि का प्रार्थी खरीद पश्चात नामान्तकरण होने के बाद से 1/3 हिस्सा रेकर्ड खातेदार होकर आज दिन तक उसका प्रार्थनाग्रस्त आराजी पर निरन्तर एवं निराबाध रूप से कब्जा होकर काश्त करता चला आ रहा है उपरोक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात सेटलमेंट से प्रार्थी के नाम पर ही दर्ज होनी चाहिये थी, परन्तु सेहवन से राजस्व अधिकारीयों की त्रुटि से विपक्षी राज्य सरकार के नाम पर गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गई है। अतः प्रार्थी द्वारा साबिक आराजी न. 729/4 रकबा 5 बिघा भूमि के नवीन सेटलमेंट के बाद बने नये आराजी न. 1796, 1797, 1799, 1800, 1801 रकबा 1.0700 है. भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दारामद व तरमीम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 3 अनुपस्थित रहे जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में खाता सं. 531 के साबिक नं. 729/4 कुल किता 1 रकबा 5–00 बिघा में कृषि भूमि श्री नवाब पिता शाकिर अहमद जाति मुसलमान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 04.10.2010 को प्रार्थी द्वारा खरीदी गई। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 2668 दिनांक 10.12.2010 को प्रार्थी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है जो सही है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि खाता सं. 531 के साबिक आराजी न. 729/4 कुल किता रकबा 5 बिघा भूमि का नवीन भू–प्रबंध में हाल आराजी सं. 1796, 1797, 1799, 1800, 1801 कुल खसरे 5 रकबा 1.0700 है. बना। वक्त सेटलमेंट त्रुटि से उक्त कृषि भूमि का नवीन राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं हुआ एवं बिलानाम दर्ज कर दी गई साथ ही बताया कि उक्त आराजीयात पर

प्रार्थी द्वारा काश्त की जा रही है। कुछ पडत है एवं रास्ते के रूप में उपयोग आ रही तहसीलदार भीण्डर द्वारा संलग्न नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया हैं।

हमने पाया कि साबिक आराजी न. 729/4 रकबा 5 बिघा भूमि में से हिस्सा प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया तथा नामान्तकरण संख्या दिनांक 10.12.2010 से उक्त 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है जिसको तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया है। साबिक आराजी न. 729/4 में 2/3 हिस्सा विपक्षी 2, 3 के नाम दर्ज रेकर्ड है जो जमाबंदी संवत् 2052–55 से स्पष्ट है। तहसील भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक आराजी न. 729/4 रकबा बिघा के नवीन भू–प्रबंध के बाद नये आराजी न. 1796, 1797, 1799, 1800, 1801 कि 5 रकबा 1.0700 है. बने साथ ही स्पष्ट किया है कि वक्त सेटलमेंट त्रुटि से उक्त भूमि का नवीन राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं हुआ है एवं बिलानाम दर्ज कर दी तहसीलदार भीण्डर द्वारा उक्त आराजीयात में प्रार्थी द्वारा काश्त करना बताया तथा जमीन पडत एवं रास्ते के रूप में उपयोग होना बताया।

अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट कि नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक आराजी न. 729/4 के बने नये आराजी न. को प्रा एवं विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज नहीं कर बिलानाम कर दिया गया जिसे न्यायहित सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राज अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता तहसील भीण्ड जिला उदयपुर राज की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1 की आरा संख्या 1796 रकबा 0.0900 है., आराजी न. 1797 रकबा 0.1300 है., आराजी न. 17 रकबा 0.3000 है., आराजी न. 1800 रकबा 0.4500 है., आराजी न. 1801 रकबा 0.10 है. भूमि बिलानाम सरकार के बजाय प्रार्थी श्री मांगीलाल पिता श्री किशनलाल अही जाति अहीर के नाम 1/3 हिस्से से व विपक्षी संख्या 2 श्री अयुब पिता शकीर अहम जाति मुसलमान व विपक्षी संख्या 3 श्री सलीम पिता शकीर अहमद जाति मुसलमान नाम (संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से से) 2/3 हिस्से से दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्श ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्ड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।